

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 03/2025

पंजीकरण संख्या :- 2025/6

बउनवान

ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीचंद जाति महाजन निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों (मुतक)
1/1 मीनाक्षी आयु 48 वर्ष पत्नी स्वीर्गीय ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी छीपाबडौद जिला बारों
1/2 अभय कुमार आयु 29 वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी छीपाबडौद जिला बारों
1/3 सोम गोयल आयु वर्ष पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी छीपाबडौद जिला बारों

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरुद्ध तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 2687 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम
छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद की अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 29.12.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 781 दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.02.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जो अप्राप्त है। प्रकरण में लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये कहा गया कि वाके माल ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद में आराजी खसरा नं. 781 रकबा 1.00 बीघा तत्कालीन खातेदार चौधमल पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी छीपाबडौद से मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069-2072 से जरिये रजिस्ट्री अपीलांट द्वारा खरीद की गई थी जिसका इंतकाल नं. 2527 दिनांक 30.06.2016 से अपीलांट के हक में खातेदारी दर्ज की गई थी तबसे अपीलांटगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांटगण द्वारा उपरोक्त खसरा नं. 781 रकबा 1.00 बीघा (1280.05 वर्ग मीटर) कार्यालय तहसीलदार तहसील छीपाबडौद के आदेश क्रमांक राजस्व/2018/167-171 दिनांक 27.04.2018 संपरिवर्तन आदेश से आवासीय भूमि में संपरिवर्तन करा लिया गया था। इस प्रकार उक्त आराजी गैर मुमकिन आबादी में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन इंतकाल नं. 2687 हल्का पटवारी छीपाबडौद द्वारा दिनांक 10.05.2018 को रिपोर्ट की गई जिसकी आई.एल.आर. छीपाबडौद द्वारा दिनांक 11.05.2028 को जांच की गई एवं उसके पश्चात् तहसीलदार साहब छीपाबडौद द्वारा दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में प्रमाणित किया गया जिसमें खातेदार अपीलांट ओमप्रकाश के स्थान पर खाता सरकार रूपांतरित आबादी आवासीय दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गई थी लेकिन खातेदार अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार खाता सरकार गैर कानूनी दर्ज किया गया है। भूमि वर्गीकरण के कॉलम में ही किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होनी थी तथा खातेदार मालिक अपीलांट ही दर्ज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट क्रम 1/1 के पति एवं 1/2 व 1/3 के पिता ओमप्रकाश जी की मृत्यु दिनांक 30.11.2023 को हो चुकी है। इस कारण उनके विधिक वारिसान को अपील प्रस्तुत कर न्याय की सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो गया। यह कि अपीलांट की कृषि भूमि वर्तमान में खाता सरकार दर्ज रहने से अपीलांट के परिवार को स्वयं के खाते कब्जे खाते की आराजियात के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये खाता सरकार से वापस अपीलांट के खाते मालिकाना हक दर्ज करवाये जाने के अधिकारी एवं नालिशी है। यह कि अपीलांट एवं अपीलांट के परिवार को अपीलांट ओमप्रकाश की मृत्यु के पश्चात जानकारी हुई कि उनके द्वारा वर्ष 2016 में खरीदी गई आराजी एवं संपरिवर्तन वर्ष 2018 में करये जाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खाता सरकार दर्ज हो गई है जबकि अपीलांट व अपीलांट के परिवारजन के खाते में दर्ज होना चाहिये था इस कारण अपीलांट के परिवारजन अपने खाते की गैर मुमकीन आबादी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित रह गये है इस हेतु पुनः राजस्व रिकार्ड खाता जमाबंदी में बतौर मालिक खाता दर्ज कराना आवश्यक हो गया है। अपीलांट की मृत्यु के पश्चात अपीलांट के वारिसान को जानकारी होने पर निर्णय नकल के लिये अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आवेदन किया गया जिस पर निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Government of Rajasthan Revenue (Group- IV) Department के No.F.6(6)Rev.6/92/Pt./14 Jaipur Dated 02-04-2007 प्रस्तुत किया गया।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 नामांतरण संख्या 2687 ग्राम छीपाबडौद निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के हक में बतौर मालिक खातेदार दर्ज किये जाने हेतु नया इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार छीपाबडौद के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/167-171 दिनांक 27.04.2018 से ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीचन्द गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 781 रकबा 1.00 बीघा आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ। उक्त इंतकाल नंबर 2687 दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों को दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 7781 रकबा 1.00 बीघा को खाता सरकार रूपांतरित आबादी आवासीय अंकित कर दिया गया, जो गलत है। उक्त इंतकाल में खाता सरकार के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश गोयल का नाम अंकित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज पर मनन किया गया जिससे पाया गया कि प्रकरण में उक्त इंतकाल नंबर 2687 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों दर्ज करते समय संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/167-171 दिनांक 27.04.2018 से ओमप्रकाश गोयल की कृषि भूमि खसरा नं. 781 रकबा 1.00 बीघा आवासीय में दर्ज करने का आदेश हुआ परंतु रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त इंतकाल दर्ज करते समय कृषि भूमि खसरा नं. 781 रकबा 1.00 बीघा को खाता सरकार रूपांतरित आबादी आवासीय अंकित कर दिया गया, जो राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के तहत दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 2687 दर्ज दिनांक 11.05.2018 वाके ग्राम छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद जिला बारों निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुना जाकर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 12 के विधिक प्रावधानों के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **29.12.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति० जिला कलक्टर
बारों